निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 91/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. धर्मेन्द्र मीणा पुत्र स्व॰ श्री कालूराम मीणा
2. चन्दा मीणा पत्नी स्व॰ श्री कालूराम मीणा
3. जोगेन्द्र मीणा पुत्र स्व॰ श्री कालूराम मीणा

समस्त निवासी मीणा की ढाणी, भवती नगर के पास, निवारू रोड, झोअवाडा, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 धोलूराम पुत्र हनुमान निवासी ग्राम निवारू, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
2 धन्नाराम पुत्र स्व॰ श्री हनुमान सहाय
3 श्रीमती संती देवी पत्नी स्व॰ श्री कालू
4 गोकुल पुत्र स्व॰ श्री कालू
5 गीता पुत्री स्व॰ श्री कालू
6 भोरिया पुत्र स्व॰ श्री छोटू
7 पप्पू पुत्र स्व॰ श्री मोहन
8 लक्ष्मण पुत्र स्व॰ श्री मोहन
9 गुलाब चन्द पुत्र स्व॰ श्री मोहन
10 प्रभाती पुत्री स्व॰ श्री मोहन
11 श्रीमती धापू पत्नी स्व॰ श्री मोहन
12 हेमराज पुत्र स्व॰ श्री मोहन

समस्त निवासियान निवारू तहसील जयपुर जिला जयपुर ।

13 अशोक कुमार मीणा पुत्र स्व॰ श्री नानगराम मीणा, निवासी मीणों की ढाणी, लाचन्दपुरा, जयपुर।
14 राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व॰ श्री नानगराम मीणा निवासी भगवती नगर, निवारू रोड, जयपुर ।
15 सुरज्ञान मीणा पुत्र स्व॰ श्री नानगराम मीणा निवासी 157, बाडी कोठी, मीणा की कोठी, निवारू रोड, जयपुर ।
16 जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जे एल एन मार्ग, जयपुर ।
17 राजस्थान जरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 37/2024 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सख्या 32/2024 व उनवानी हेमराज बनाम धोलू राम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री सुमेर सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 20.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 37/2024 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 32/2024 व उनवानी हेमराज बनाम धोलू राम व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री भगवान सहाय शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व दस्तावेज पेश किये।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त मामले में दीवानी प्रकिया संहिता के आज्ञात्मक विधिक के प्रावधानों को दरकिनार कर मामले को निस्तारण करने को आमदा है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का जबाब प्रकरण के शेष पक्षकारों द्वारा आज दिनांक तक नहीं दिया गया है मामले में अन्तरिम व्यादेश पारित किया हुआ है। जिसे आज दिन तक अपास्त आदि के लिये कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। इतना ही नहीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के समक्ष लम्बित मामलों के लिये जिस प्रकार से प्रकरणों में पेशियां दी जा रही है, उससे भिन्न प्रकृति में हस्तगत मामले की पेशियां दी जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को दिन प्रतिदिन रखकर विधिक प्रावधानों का अनदेखा कर सुनवाई करने को आतुर है। इतना ही नहीं प्रकरण की पत्रावली को भी स्वयं के चैम्बर में रखते है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी असम्यक असर के अधीन मामले की सुनवाई कर आनन फानन में विधिक प्रावधानों को अनदेखा कर प्रकरण को निस्तारित करना चाह रहे है जो विधिक अनुज्ञेय नहीं है। मामले में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का आचरण भी न्याय संगत नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।
5. अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर